REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

हरियाणा में पंच व सरपंचों का निर्विरोध चुनाव : एक अध्ययन

डॉ. मीनू[1] , अजय कुमार[2]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान विभाग .बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यलाय, रोहतक.
[2]शोधकर्ता. राजनीतिक विज्ञान विभाग .बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यलाय, रोहतक.

प्रस्तावना :

1 नवम्बर 1966 को सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य का उदय हुआ। इससे पहले यह पंजाब प्रान्त का हिस्सा था। 1966 में पंजाब प्रान्त को दो हिस्सों में बाँट दिया गया और नए राज्य का जन्म हुआ। पंजाब प्रान्त के 7 जिले हिसार, अम्बाला, रोहतक, जीन्द, करनाल व महेन्द्रगढ़ को मिलाकर हरियाणा का निर्माण किया गया। अलग राज्य बनने के बाद हरियाणा में भी पंजाब की तरह त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया। लेकिन कुछ समय के बाद यह अनुभव किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही। इसके लिए उत्तरदायी इन संस्थाओं पर नौकरशाही का प्रभुत्व, वित्त का अभाव, राज्य स्तर के नेताओं की राजनीतिक इच्छा का अभाव माना जाता है।

1972 में राज्य सरकार ने स्थानीय स्वशासन की समस्याओं व कठिनाईयों का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसका अध्यक्ष माडू मलिक को बनाया गया। कमेटी का कार्य पंचायतों में सुधार के लिए सुझाव देना था। इस समिति ने सिफारिश की थी कि शीर्ष स्तर पर परिषद् को समाप्त कर दिया जाए। समिति की सिफारिश के आधार पर 1973 में जिला परिषद् को समाप्त कर दिया गया और पंचायती राज अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया तब से लेकर (1992) हरियाणा में यही व्यवस्था रही। 73वें संविधान संशोधन के पारित होने तक हरियाणा में पंचायती राज की द्विस्तरीय संरचना कार्यरत रही इसमें निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत और ऊपरी स्तर पर पंचायत समिति थी।

हरियाणा के पृथक राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से नहीं हुए। जिला परिषद् के चुनाव केवल एक ही बार 1972 में हुए। लेकिन अगले ही वर्ष 1973 में इन्हें भंग कर दिया गया। पंचायत समिति के चुनाव केवल तीन बार 1972, 1983 और 1991 में हुए। अतः स्पष्ट है कि पहले व दूसरे चुनाव में 8 वर्ष का अन्तर था जबकि दूसरे व तीसरे चुनाव में 11 वर्ष का। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के चुनाव अलग अलग समय पर करवाए। इनका प्रथम चरण 1971, द्वितीय 1978, तृतीय 1983 में तथा चतुर्थ 1988 और पंचम 1991 में हुआ।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय स्तर की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को राज्य के राजनैतिक नेतृत्व के कारण अनिश्चितता एवं अनियमितता का सामना करना पड़ा। ये स्थिति इतनी दयनीय थी कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को लघु स्तर के अधिकारियों की सिफारिशों पर निलंबित कर दिया जाता था तथा राजनीतिक आधार पर इन संस्थाओं को भंग एवं समाप्त किया जाता रहा। अतः राज्य में राजनैतिक और प्रशासनिक नेतृत्व

के उदासीन दृष्टिकोण के कारण पंचायती राज संस्थाओं का विकास न हो सका।

1992 में 73वां संविधान संशोधन संसद में पारित किया गया तथा अप्रैल 1993 में इस अधिनियम को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया ताकि पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में एकरूपता स्थापित हो सके। इसी एकरूपता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी राज्यों से यह उपेक्षा की गई थी कि वे 73वं संविधान संशोधन के पारित होने के एक वर्ष (24 अप्रैल 1994) के अन्दर–अन्दर अपने–अपने राज्य में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप नए पंचायती राज अधिनियमों का गठन करें तथा उन्हें अपने राज्य में लागू करें। इसी दिशा में हरियाण में भी नया पंचायती राज अधिनियम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 पास किया गया तथा 22 अप्रैल 1994 को इसे राज्य में लागू कर दिया गया। निर्विरोध चुनाव को पंचायती राज संस्थाओं में प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं में चुने जाने वाले व्यक्ति गाँव की पृष्ठभूमि, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था, स्थानीय समस्याओं व रीति–रिवाजों से पूरी तरह परिचित होते हैं और यदि उनका चुनाव सर्वसम्मति से गाँव के लोगों द्वारा किया जाता है तो चयनित व्यक्ति गाँव के विकास के लिए कार्य पूरी लगन के साथ करता है। गाँव के लोग भी उसका पद की जिम्मेदारियाँ निभाने में सहयोग करते हैं। पूरा गाँव एक परिवार की तरह काम करता है। स्नेह व शान्तिपूर्ण वातावरण गाँव में बना रहता हैं गाँव में चुनावी रंजिशें, दंगे, जाति व धर्म की राजनीति खत्म हो जाती है। प्रशासनिक स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति, मशीनरी व धन की बचत होती है। निर्विरोध चुनाव को विभिन्न राज्यों में अलग–अलग नाम से जाना जाता है। गुजराज में इसे ***'समरस'*** कहा जाता है।

निर्विरोध चुनाव से गाँव की ही नहीं बल्कि जिले व प्रदेश की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। निर्विरोध चुनाव से सामाजिक व्यवस्था में विश्वास, निष्ठा, प्रेम व स्नेह, आत्मविश्वास, सद्भावपूर्ण व्यवहार, परिपक्व सोच, एकता विकास उन्मुख सोच को प्रोत्साहन मिलता है। निर्विरोध चुनाव समाज, सरकार व प्रशासन को सामाजिक व आर्थिक लाभ पहुँचाते हैं। समाज को जहाँ शान्तिपूर्ण व सद्भावपूर्ण वातावरण मिलता है वहीं सरकार का ध्यान लोगों के अधिकतर विकास के लिए योजनाएँ तैयार करने पर जाता है और प्रशासन अपने समय, शक्ति व धन की बचत करते हुए योजनाओं के अधिकतम क्रियान्वयन पर ध्यान देता है। निर्विरोध चुनाव मतदाताओं के साथ–साथ चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को भी मानसिक तनाव, शारिरिक श्रम व व्यर्थ खर्चों से बचाते हैं।

निर्विरोध चुनाव कई बार अचानक परिस्थितियों के कारण व कई बार क्षेत्र के लोगों के सामूहिक प्रयास के कारण संभव हो पाता है। कई बार तो निर्विरोध चुनाव के लिए परिस्थितियाँ नियंत्रण में होती हैं तो कई बार निर्विरोध चुनाव अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण भी होता है। निर्विरोध चुनाव के कई कारण हैं–प्रत्याशी की मृत्यु हो जाना।अन्य प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो जाना।प्रत्याशी द्वारा स्वयं अपना नामांकन वापिस ले लेना।शक्तिशाली व प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर अपना नामांकन न भरना।प्रत्याशी की स्वयं की प्रभावशाली भूमिका, प्रतिष्ठा।प्रत्याशी का उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाना।प्रत्याशी के राजनैतिक दल का महत्वपूर्ण व प्रभावशाली होना।प्रत्याशी के स्वयं के गुण।धन के प्रभाव के कारण।धर्म व जाति के प्रभाव के कारण।शिक्षा योग्यता के कारण।आरक्षण व्यवस्था के कारण।प्रशासनिक कार्यवाहियों के कारण।प्रत्याशी के मुख्य सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका।प्रत्याशी के साथ अचानक कोई आपराधिक घटना का घट जाना।जनसंचार एवं प्रचार।राजनैतिक जागरुकता कम होने के कारण।प्रतिष्ठित परिवारों से प्रत्याशी।

राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को हरी झंडी देने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने नई तारीखों की घोषणा की व चुनाव को तीन चरणों में 10 जनवरी, 17 जनवरी व 24 जनवरी को सम्पन्न करवाया गया। जिसमें 6,186 सरपंच व 60,346 पंचों के लिए चुनाव करवाया गया। इस चुनाव में जनता ने 247 सरपंचों व 38,555 पंचों को बिना चुनाव के ही आपसी सहमति से निर्विरोध चुन लिया।

शोध के लिए आंकड़े राज्य हरियाणा के ग्यारह जिलों से रोहतक, भिवानी, गुरूग्राम, मेवात, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, कैथल, जीन्द, हिसार व यमुनानगर के 50 गाँवों से यहाँ पर पंचों व सरपंचों का निर्विरोध चुनाव हुआ, लिए गए हैं।

आंकड़े प्राथमिक स्रोत, प्रश्नावली के द्वारा ग्यारह जिलों के 50 गाँवों से 400 उत्तरदाताओं से आंकड़े लिए गए हैं। प्रश्नावली द्वारा ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी के साथ–साथ राजनैतिक सहभागिता, निर्विरोध चुनाव की जानकारी, निर्विरोध चुनाव की उपयोगिता व चुनौतियों को जाना गया है। शोध

के लिए हरियाणा राज्य के 11 जिलों से निर्विरोध चुनाव से चयनित 155 पंचों व 50 सरपंचों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। एकत्रित आंकड़ों में–

शोध के निष्कर्ष

1. 75.48 प्रतिशत पंच व 76 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं को ग्राम पंचायत की शक्तियों की पूर्ण जानकारी है। 14.19 प्रतिशत पंच व 14 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं को ग्राम पंचायत की शक्तियों की पूर्ण जानकारी नहीं है।
2. 90.32 प्रतिशत पंच व 96 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता मानते हैं कि निर्विरोध चुनाव से उनके गाँव के विकास में बदलाव आया है। 1.29 प्रतिशत पंच उत्तरदाता मानते हैं कि निर्विरोध चुनाव से गाँव के विकास में बदलाव नहीं आया है।
3. 92.90 प्रतिशत पंच व 88 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि निर्विरोध चुने गए पंच/सरपंच गाँव के विकास के लिए अधिक लगन से कार्य करते ह1.93 प्रतिशत पंच व 2 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि निर्विरोध चुने गए पंच/सरपंच गाँव के विकास के लिए अधिक लगन से कार्य नहीं करते हैं।इनमें
4. 65.16 पंच व 74 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता जागरूक हैं वे सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि की जानकारी रखते हैं।
5. 51.61 प्रतिशत पंच व 68 प्रतिशत सरपंच ये मानते हैं कि निर्विरोध चुनाव के कारण ग्रामीणों का बड़ा भाग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाता है।
6. 96.77 प्रतिशत पंच व 88 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए
7. 27.09 प्रतिशत पंच व 58 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायत के कार्यों में राजनैतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेप होता है। 45.80 प्रतिशत पंच व 14 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार अधिकतर पंच व सरपंच उत्तरदाता पंचायत के कार्यों में राजनैतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेप से अन्जान हैं।
8. 56.12 प्रतिशत पंच व 78 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं का नेतृत्व युवा वर्ग के हाथों में होना चाहिए।36.12 प्रतिशत पंच व 18 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं का नेतृत्व महिला वर्ग के हाथों में होना चाहिए
9. 98.70 पंच उत्तरदाता व 100 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए
10. सरंपच उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रमीण विकास के लिए पंचायतों को मिलने वाली राशि पर्याप्त नहीं है।
11. 10.32 प्रतिशत पंच व 32 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायत की बैठकों में निर्णय बहुतमत के आधार पर लिए जाते हैं।60.65 प्रतिशत पंच व 56 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायत की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। 29.03 प्रतिशत पंच व 12 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायत की बैठक में निर्णय सरपंच की इच्छा के आधार पर लिए जाते हैं।
12. 82.23 प्रतिशत पंच व 44 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता पूर्व में पंच/सरपंच निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। कुल 3.23 प्रतिशत पंचों व 20 प्रतिशत सरपंचों का पूर्व में निर्विरोध चुनाव नहीं हुआ है।13.55 प्रतिशत पंचों व 36 प्रतिशत सरपंचों ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है।
13. 98.06 प्रतिशत पंच व 96 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि निर्विरोध चुनाव से धन की बचत होती है।
14. 99.35 प्रतिशत पंच और 100 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि निर्विरोध चुनाव प्रणाली अच्छी है।
15. 85.81 प्रतिशत पंच व 88 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं को पंचायती राज व्यवस्था का 1–5 वर्ष का पूर्व अनुभव है।12.26 प्रतिशत पंचों व 10 प्रतिशत सरपंचों को 5 से 10 वर्ष का पूर्व अनुभव है।

16. 63.23 प्रतिशत पंच व 86 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं ने माना कि सरकार निर्विरोध चुनाव को बढ़ावा दे रही है।
17. 69.03 प्रतिशत पंच व 62 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायत की बैठकों में महिलाओं पर पुरुषों का दबाव बना रहता है।
18. 72.26 प्रतिशत पंच उत्तरदाताओं व 60 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं को उचित अधिकार प्रदान किए गए हैं।
19. 78.06 प्रतिशत पंच व 100 प्रतिशत सरपंच उत्तरदाताओं का मानना है कि निर्विरोध चुनाव के कारण गाँव का विकास पहले से ज्यादा हुआ है।

सुझाव

1. राज्य सरकार द्वारा निर्विरोध चुनाव के लिए निश्चित नियम व नीति बनाने की आवश्यकता है।
2. निर्विरोध चुनाव व्यवस्था के अन्तर्गत निश्चित अवधि के बाद चुनाव के समय लगातार एक ही व्यक्ति का चुनाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वह तानाशाह, निरंकुश बन सकता है।
3. निर्विरोध चुनाव के समय सभी मतदाताओं के विचार व मत लेने आवश्यक होने चाहिए नहीं तो मतदाता स्वयं को उपेक्षित समझेंगे व राजनैतिक सहभागिता नहीं करेंगे।
4. निर्विरोध चुनाव सर्वसम्मति से ही होने चाहिए। निर्विरोध चुनाव को अन्य तरीकों के लिए निश्चित नियम होने चाहिए ताकि मतदाता अपने विचार रख सके।
5. निर्विरोध चुनाव में सरकार व प्रत्याशी के धन की बचत होती है, लेकिन प्रत्याशी द्वारा प्रचार पर धन खर्च न करके यदि किसी और तरीके से धन का दुरुपयोग किया ताकि उसके पक्ष में सर्वसम्मति बन जाए तो इसके लिए जाँच होनी चाहिए।
6. निर्विरोध चुनाव में धन के अलावा प्रत्याशी अपनी सम्पत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनैतिक पृष्ठभूमि के दबाव को रोकने के प्रयास होने चाहिए क्योंकि यदि प्रत्याशी अपनी संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनैतिक पृष्ठभूमि के दबाव के द्वारा निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है तो वह आम लोगों के कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगा।
7. निर्विरोध चुनाव व्यक्ति को चुनाव से, मतदान से दूर करने के लिए नहीं होने चाहिए बल्कि व्यक्ति को राजनीति के प्रति सजग, जागरूक बनाने के लिए होने चाहिए।
8. सभी मतदाताओं की राजनैतिक सहभागिता बढ़ाने व उनके राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग बढ़ाने के लिए निर्विरोध चुनाव होने चाहिए।
9. समय–समय पर जिला व राज्य सरकार द्वारा निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उन्हें तानाशाह व निरंकुश होने से रोका जा सके।
10. सरकार द्वारा ऐसे गाँवों में प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा निर्विरोध चुने गए पंच व सरपंचों के कार्यों के बारे में ग्रामीणों के विचार लेने चाहिए ताकि लोकतंत्र को कायम रखा जा सके।

संदर्भ सूची

1. रूपा मिगलानी, 'पंचायती राज के नवीन आयाम', युनिवर्सिटी बुक हाऊस प्रा० लि०
2. अशोक मेहता, 1978'डिपार्टमेन्ट ऑफ डेवलपमेन्ट कमेटी ऑन पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड इरीगेशन, नई दिल्ली, गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया प्रैस
3. महीपाल (1996), 'पंचायती राज अतीत, वर्तमान और भविष्य', नई दिल्ली प्रकाशन,
4. सिंह इन्द्रजीत, *''इक्सकलुडिंग डिपराइवड : हरियाणा पंचायती राज''*, इक्नॉमिकल एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 51, इश्यू सं० 16, 16 अप्रैल 2016
5. अरोड़ा अमित (2018) *''पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव : लोकतन्त्र और कानून व्यवस्था की खुलेआम हत्या'* आई चौक इन, 6 मई 2018
6. राव भानुप्रिया (2016) *''हरियाणा पंचायत चुनाव : प्रत्याशियों के लिए शिक्षा जरूरी, आधी आबादी अयोग्य''* इण्डिया स्पेंड, 21 जनवरी 2016

7. पोपली वॉक्स (9 अप्रैल 2016) *''डेमोक्रेसी वॉन्ट सरवाइव इलेक्शन्स वेयर कैंडिडेट्स अनअपोज़्ड, द अशाही शिम्बन एशिया एण्ड जापान वॉच'*
8. मेनडोजा रोनाल्ड (2019)*''अनअपोज़्ड : ऑवर 500 कैंडिडेट्स इन लोकल रेसस नीड ऑनली, वॉट टु विन''* (*रॉपलर डॉट कॉम, 7 मई 2019*)
9. लिंडल नोह (2017) *''वन पर्सन, नोट वोटस : अनअपोज़्ड कैंडीडेट स्टेच्यूज़ एण्ड स्टेट ऑफ इलेक्शन लॉ, विसकॉन्सिन लॉ रिव्यू, 19 नवम्बर 2017*

LBP PUBLICATION